न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या—15/2025

1. कमला पुत्री जीताराम पत्नि दिलरुबा पुत्र ठण्डाराम जाति जाट साकिन बनमंदौरी तहसील भट्टू जिला फतेहबाद हरियाणा।
2. पंकज सांवत पुत्र माता नीलम पुत्री जीताराम पत्नि अरूण कुमार जाति जाट साकिन बनमंदौरी तहसील भट्टू जिला फतेहबाद हरियाणा।

— अपीलान्टस

बनाम

1. ज्ञान सिंह पुत्र जीताराम जाति जाट साकिन भैरूधनी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुभाष पुत्र जीताराम जाति जाट साकिन भैरूधनी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

—असल रेस्पोडेन्टस

4. विक्रम पुत्र माता नीलम पुत्री जीतराम पत्नि अरूण कुमार जाति जाट साकिन बनमंदौरी तहसील भट्टू जिला फतेहबाद हरियाणा।

—तरतीबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः—श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2

निर्णय दिनांकः— 13/03/2026

अपीलांट कमला पुत्री जीताराम पत्नि दिलरूबा पुत्र ठण्डाराम, पंकज सांवत पुत्र माता नीलम पुत्र जीताराम पत्नि अरूण कुमार जाति जाट साकिन बनमंदौरी तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद हरियाणा द्वारा नामान्तरण सं. 334 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.1993 रोही मौजा चक 4 जे.जी.डब्ल्यु. पटवार हल्का छानी बड़ी तहसील भादरा को अपास्त करवाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षपे में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपील अपीलाधीन नामान्तरण सं. 334 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.051993 रोही मौजा चक 4 जे.जी. डब्ल्यु. पटवार हल्का छानी बड़ी तहसील भादरा बअदालत उप तहसीलदार छानीबडी भादरा विधि की अवहेलना में एक पक्षीय तौर से पारित होने से अपास्तनीय है।
2. अपील के तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु वंशावली निम्न प्रकार से है—

जीताराम पुत्र भानुराम
निहाली पत्नि फौत
सुभाष, ज्ञानसिंह, कमला, नीलम — फौत
विक्रम, पंकज सांवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.05.22 13:44:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. रोही मौजा चक 4 जे.जी.डब्ल्यु. पटवार हल्का छानी बड़ी तहसील भादरा के खाता सं. 281/104 के मु.नं. 56 के किला नं. 6 ता 7 की 0.506 हैक्टर, 13 ता 18 की 1.518 हैक्टर भूमि, किला नं. 23 त 25 की 0.7590 हैक्टर भूमि कुल 11 किता की 2.7830 हैक्टर भूमि मु.नं. 57 के किला नं. 10 व 11 की 0.5060 हैक्टर भूमि किला नं. 19 ता 22 की 1.012 हैक्टर कुल 6 किता की 1.5180 हैक्टर भूमि, मु.न. 58 के किला नं. 1 व 2 की 0.506 हैक्टर भूमि मु.नं. 59 के किला नं. 2 ता 9 की 2.024 हैक्टर भूमि किला नं. 13/1 की 0.1260 हैक्टर 14 ता 17 की 1.012 हैक्टर भूमि कुल 13 किता की 3.1620 हैक्टर भूमि इस प्रकार कुल 32 किता की 7.9690 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसमें से 315 हिस्सा अर्थात 15 बीघा 15 बिस्वा, 3.98475 हैक्टर भूमि के अपीलान्ट सं. 1 व व रेस्पोडेन्टस सं. 2 व 3 के पिता अपीलान्ट सं. 2 तरतीबी रेस्पोडेट सं. 4 के नाना खातेदार काश्तकार थे तथा उक्त अपीलाधीन नामान्तरण उप तहसीलदार छानी बड़ी द्वारा कैम्प ग्राम वि. शिविर छानी बड़ी में किया गया तथा फर्जी वारिसान प्रमाण पत्र के जिसमें पुत्रीयों को नही दर्शाया गया के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया उक्त दस्स्तावेज की कोई जाँच नही पटवारी हल्का व गांव के मौजिज व्यक्तियों से अभियान में कोई पूछताछ नही कर जल्द बाजी में अपीलाधीन एक पक्षीय गैर कानूनी ढ़ंग से निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है। तथा उक्त भूमि का अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज व स्वीकृत करते वक्त निहाली बेवा जीतराम व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपने नाम कतई अनुचित एवं विधि विरूद्व तरीके से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को वारिसान छुपाते हुए अकेले के विधि की अवहेलना में दर्ज करवा लिया। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हक हकुक के खिलाफ व बैजा है तथा अपास्तनीय है।

3. वाद भूमि रोही मौजा चक 4 जे.जी.डब्ल्यु. पटवार हल्का छानीबडी तहसील भादरा के नामान्तरण सं. 334 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.1993 में की भूमि निहाली बेवा जीताराम व ज्ञानसिंह व सुभाष पि. जीताराम के अलावा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 का भी हक व हिस्सा था। वाद भूमि कुल तादादी 3.98475 हैक्टर भूमि में अपीलान्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 सयुक्ततः व निहाली बेवा जीतराम ब.हि.ब. अर्थात 1/5, 1/5 हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे तथा वाद भूमि में अपीलान्ट सं. 1 का 0.79695 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार है। तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 व अपीलान्ट सं. 2 को सयुक्ततः का 0.79695 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 0.79695 हैक्टर व रेस्पोडेन्ट सं. 2 का का 0.79695 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार थे किन्तु निहाली बेवा जीतराम व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अर्थात, तीनो के [illegible] की 2.39085 हैक्टर भूमि में 40 हिस्सा भूमि नत्थुराम वल्द जैसाराम कौम जाट साकिन भैरूछानी व जगदीश चन्द्र पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उदमीराम जाति जाट साकिन भिरानी को 40 हिस्सा अर्थात 80 हिस्सा अर्थात 1.012 हैक्टर भूमि बैचान कर दी शेष भूमि निहाली बेवा जीताराम व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 तीनो 1.37885 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार रहे। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 अपने हिस्से की भूमि बैय करने के उपरान्त 0.91924 हैक्टर भूमि के सयुक्ततः खातेदार है तथा 0.459645 हैक्टर भूमि की निहाली बेवा जीतराम खातेदार रही इस प्रकार निहाली बेवा जीतराम के उक्त हिस्से के अपीलान्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार है निहाली बेवा जीतराम के हिस्से में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का हिस्सा बैचान के बाद शेष रही भूमि के अनुसार निहाली बेवा जीतराम के हिस्से में चारों अपीलान्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 तथा अपीलान्ट सं. 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 सयुक्ततः ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार से वाद भूमि में अपीलान्ट सं. 1 अकेली 0.91186125 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 सयुक्ततरू 1.1490625 हैक्टर भूमि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा अपीलान्ट सं. 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 का 0.91186125 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकर है परन्तु वाद भूमि का अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करते वक्त अपीलान्ट सं. 1 व अपीलान्ट सं. 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 को उनके हक व हिस्से के महरूम कर दिया तत्पश्चात निहाली फौत होने पर केवल उनके हिस्से में उनके नाम दर्ज कर दिये जबकि जीतराम पुत्र मानुराम की भूमि का हिस्सा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को नही दिया भारतीय हिन्दु उतराधिकार अधिनियम सन् 1956 की धारा 6 व 8 के अनुसर पुत्री प्रथम श्रेणी की वारिस है इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि की अवहेलना में पुत्रीयों को वारिस नही मानकर किया गया इसलिए अपास्तनीय है।

5. अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सुना नही गया उन्हें पक्षकार ही नही बनाया तथा बिना सुनवाई के एक पक्षीय तौर से अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में किया गया है। न्यायालय श्रीमान सहायक कलैक्टर एंव उपखण्डाधिकारी राजस्व भादरा के यहा जैरकार ज्ञानसिंह वगैराह बनाम कमला वगैराह के प्रकरण जिसमें तारीख पेशी दिनांक 21.04.2025 नियत थी की रजि. सम्मन दिनांक 24.03.2025 को मिलने पर अपीलान्ट ने भादरा सहायक कलैक्टर कोर्ट में अगले दिन दिनांक 25.03.2025 को आकर अभिभाषक से जरिये सम्पूर्ण प्रकरण का पता किया तथा राजस्व रिकार्ड चैक किया [illegible] चला कि उक्त दावा अन्य चक 6 जे. एस. एल. की भूमि का है परन्तु रिकार्ड से पता करने पर चक 4 जे.जी. डब्ल्यु. पटवार हल्का छानी बड़ी के अपीलाधीन नामान्तरण सं. 334 दिनांक 27.05. 1993 का पता चला जिसमे रेस्पोडेन्ट ने पुत्रीयों को पक्षकार को बनाए बगैर अकेले उनका हक व हिस्सा हड़प कर लिया तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कुटरचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वारिसनामा प्रस्तुत कर अकेलो रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के भूमि दर्ज करवा ली जबकि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का हक व हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के दर्ज करवाने से व्यथित पक्षकार है उन्हें धारा 96 सीपीसी के तहत बतौर तृतीय पक्षकार न्यायालय हाजा की अनुमति से अपील अपीलान्ट पेश कर रहे है।

6. अपीलाधीन निर्णय मदं सं. 5 में अभिकथन के अनुसार एक अन्य प्रकरण सहायक कलैक्टर भादरा के यहा जैरकार प्रकरण जिसमें तारीख पेशी दिनांक 21.04.2015 नियत थी का नोटिस रजि. सम्मन दिनांक 24.03.2025 को मिलने पर अलगे दिन दिनांक 25.03.2025 को जरिये अधिवक्ता रिकार्ड व वाद के प्रकरण को जाना तब रेवन्यू रेकार्ड पता करने पर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश के विषय में पता चला जिस पर शीघ्र दिनांक 04.04.2024 को नामान्तरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की उक्त नामान्तरण आदेश में दो पुत्रीयो को वारिसान में नही दिखाकर कुटरचित व धोखे व फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अपने नाम पिता जीतराम की भूमि अकेलो के दर्ज करवाली अपीलान्ट व तरतीब रेस्पोडेन्ट सं. 4 को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया उक्त नामान्तरण नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया गया है तथा दिनांक 25.03.2025 को अपीलाधीन नामान्तरण का पता चला नामान्तरण जो Illegal है। प्रकरण मेरीटोरियस है। जिस पर कोई मियाद अवधि लागु नही होती है फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहै तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम ज्ञान से अन्दर मियाद माना जाकर देरी को क्षमा योग्य है।

7. अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद है तथा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है तथा मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 334 स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.1993 रोही मौजा चक 4 जे.जी.डब्ल्यु. पटवार हल्का छानी बड़ी तहसील भादरा बअदालत उप तहसीलदार छानीबड़ी भादरा तहसील भादरा रोही मौजा चक 4 जे.जी.एम. तहसील भादरा अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2 की ओर से श्री हवासिंह पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या–03 अधीनस्थ पटवार हल्का भादरा से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 04 रजिस्टर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 27.05.1993 फर्जी वारिसनामा के आधार पर तस्दीक किया गया। अपीलांट का जन्म से ही कृषि भूमि में हक व हिस्सा है। वारिसनामा में पुत्रीयों को वारिस नहीं माना गया है एंव पुत्रीयों का सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थना–पत्र दफा 5 में देरी के लिए माफ किया जाना चाहिए। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. 2009(2)RRT 988 [Sri Krishan & Anr. vs. Board of Revenue &Ors.]
2. 2009(2)RRT 1102 [Bhanwar Singh & Ans. vs. Board of Revenue &Ors.]
3. 2019 RBJ 436 (In The Supreme Court of India) - Bhivchandra Shankar More v\s Balu Gangaram More & Ors.
4. 2023 (1) RRT 372 - Dhanraj & Ors. Vs. Ratan Kumar Agarwal &Ors.
5. RRD 1990 Page no. 398 - Chhotu v. Mst. Jeeya -146

अतः अपील अपीलांट स्वीकर की जाकर रिमाण्ड किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि 32 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद अपील पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 27.05.1993 की जानकारी थी। सभी वारिसों की सहमती से विरासतन नामान्तरण दर्ज किया गया। अपीलांट ने स्वंय कहा कि उक्त भूमि का बैयनामा किया गया है। लेकिन आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपील खारिज योग्य है। बैयनामा शुन्य बताया गया है यह अपील में तय नहीं हो सकता है इस हेतु दावा पेश किया जाना चाहिए। बैयनामा धारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 27.05.1993 को तस्दीक करते वक्त अपीलान्ट सं. 1, 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 4 को उनके हक व हिस्से से वंचित कर दिया जबकि नियमानुसार समस्त वारिसान के ब0हि0ब0 भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। तहसीलदार भादरा द्वारा विरास्तन नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 27.05.1993 को स्वीकृत करनें में वारिसान की जाचं पड़ताल नहीं कर त्रुटि कारित की है। जीताराम के वारिसान में पुत्रियों को वारिस न मानते हुए विरासतन नामान्तरण दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में नामान्तरण संख्या 334 27.05.2026 को बहाल रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 334 दिनांक 27.05.2026 को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार भादरा को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कि जीताराम के समस्त वारिसान की जांच कर एंव समूचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए समस्त वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरण दर्ज कर प्रकरण का निस्तारण करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 13/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:02 IST
Reason: SelfAttested